पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 151/2024 दिनांक- 10.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- महराजगंज

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास – दिनांक 09.05.2024 को वादी अजीत प्रताप सिंह s/o रामकुँवर सिंह अशरफपुर बसारथपट्टी पो0 हुँसेपुर रामजियावन थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा आवेदक की मोटर टुल्लू पम्प चोरी कर लिया गया जिस राजन पुत्र हवलदार द्वारा बेचने ले जाते समय आवेदक के मित्रों द्वारा पकड़ लेने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 177/24 धारा 379/411 भादवि बनाम 1. राजन पुत्र हवलदार 2.अमित पुत्र पतरीराम 3.साहिल पुत्र बबलू निवासीगण हुंसेपुर रामजियावन थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 मु0अहमद खां द्वारा सम्पादित की जा रही है। व अभियुक्त राजन पुत्र हवलदार को बरामदगी के आधार पर हिरासत पुलिस में लिया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 09.05.2024 को उ0नि0 मु0अहमद खां मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी हुई मोटर टुल्लू पम्प का चोर वादी मुकदमा द्वारा पकड़ लिया गया है व चोरी की मोटर भी बरामद हुई है मौके पर पकड़े गये व्यक्ति द्वारा अपना नाम . राजन पुत्र हवलदार सा0 हुंसेपुर रामजियावन थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष बताया तथा अभियुक्त के पास चोरी मोटर टुल्लू बरामद हुआ जिसे समय करीब 15.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अभियुक्त राजन पुत्र हवलदार सा0 हुंसेपुर रामजियावन थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

बरामदगी का विवरण:- 1. चोरी की टुल्लू मोटर बरामद।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 177/24 धारा 379/411 भादवि थाना महराजगंज आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्र0नि0 श्री राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हे0मु0 मनोज कुमार मिश्रा व जनता के व्यक्ति थाना महराजगंज आजमगढ

थाना- फूलपुर

चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 09-04-2024 को मुकदमा वादी अजीमुल्लाह पुत्र अब्दुल जलील निवासी हेमईपुर थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अपनी पुत्री तमन्ना के साथ कस्बा फूलपुर में घरेलू सामान खरीदते समय खुद की पुत्री के बड़े बैग में से गुलाब रंग का हैण्ड पर्स में रखा 3-4 सौ रुपये व आधार कार्ड चुरा लेने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 229/24 धारा 380 भादवि विरुद्ध दो महिला नाम पता अज्ञात पजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 दिनेश त्रिपाठी के द्वारा कि जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनाक 10-04-2024 उ0नि0 दिनेश त्रिपाठी मय हमराह के चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना पर खुरासनरोड रेलवे स्टेशन से दो महिलाओ 1.बानी देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी ग़डेरीपट्टी चुनावा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष 2. अनिता पत्नी अर्जून निवासी सिलौटा थाना धीना जनपद चन्दौली हाल पता ग़डेरीपट्टी चुनावा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को चोरी का गुलाबी रंग का हैण्ड पर्स में रखा 350 रुपये व आधार कार्ड के साथ से को समय 08-15 बजे को हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

1. बानी देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी ग़डेरीपट्टी चुनावा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2- अनिता पत्नी अर्जून निवासी सिलौटा थाना धीना जनपद चन्दौली हाल पता ग़डेरीपट्टी चुनावा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- मु०अ०सं० 229/2024 से सम्बन्धित गुलाबी रंग का हैण्ड पर्स में रखा 350 रुपये व आधार कार्ड बरामद।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 229/2024 धारा 380/411 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने दिनांक 09.05.24 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी मंदीप चौहान उर्फ फक्कड़ s/oरमेश चौहान उम्र -19 वर्ष निवासी ग्राम रंगडीह थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ द्वारा वादी की लड़की उम्र 16 वर्ष शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना जिससे वादी की लड़की के 05 या 06 माह से गर्भवती होने व शादी करने की बात पर अभियुक्त द्वारा इन्कार कर दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/2024 धारा 376 IPC व 3./4 पास्को एक्ट व एंव 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम मंदीप चौहान उर्फ फक्कड़ s/oरमेश चौहान उम्र -19 वर्ष निवासी ग्राम रंगडीह थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना स0पु0अ0 /क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दि0-10/05/2024 को थानाध्यक्ष गम्भीरपुर बसंत लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मंदीप चौहान उर्फ फक्कड़ s/oरमेश चौहान उम्र -19 वर्ष निवासी ग्राम रंगडीह थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ को फरिहा तिराहे के पास से समय करीब 10.05 बजे सुबह में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु.अ.सं.163/2024 धारा 376 IPC व 3./4 पास्को एक्ट व एंव 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- मंदीप चौहान उर्फ फक्कड़ s/oरमेश चौहान उम्र -19 वर्ष निवासी ग्राम रंगडीह थाना सरायमीर जिला आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः—मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

आज दि0-10/05/2024 को उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अकबाल उर्फ इकबाल पुत्र जौआर नट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर (नट पुरवा)थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ को एक नाजायज तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के ग्राम फैजुल्लापुर तिराहा (मोहिउद्दीनपुर) समय करीब 07.10 बजे सुबह में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-164/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराते हुए बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1-अकबाल उर्फ इकबाल पुत्र जौआर नट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर (नट पुरवा)थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवण

01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 164/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः—

1.मु.अ.सं.200/19 धारा 379 IPC थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

2.मु.अ.सं.416/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

3.मु.अ.सं.162/2016 धारा 147,148,149,186,307,336,341,353,504,506 IPC व 7 CLA एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

4.मु.अ.सं.395/2016 धारा 323,406,504,506 IPC थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

5.210/2016 धारा -147/323/504/508 भादवि निजमाबाद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2.हे0का0 इन्द्रपाल यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 10.05.2024 को उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि अवैध तमंचे के साथ अलाउद्दीन पट्टी नहर पुलिया पर खड़ा है कही जाने के लिये किसी का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया उसने अपना नाम बदन पुत्र शिवनाथ निवसी हारिपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी में एक अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति का यह अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. का दण्डनीय अपराध है का बोध कराते हुए समय करीब 7.50 बजे सुहब हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- बदन पुत्र शिवनाथ निवसी हारिपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
बरामदगी- एक अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 151/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 151/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 165/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 257/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 शिवकुमार यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. का0 बासुकीनाथ सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

थाना – मेंहनाजपुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 18.01.24 को वादिनी मुकदमा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि दिनांक 09-01-2024 को आवेदिका व आवेदिका के पति समारोह में गये हुए थे मौके से घर पर नही थे जब आवेदिका घर पर समारोह से वापस आयी तो घर पर आवेदिका की पुत्री उम्र 17 वर्ष घर पर नही थी आवेदिका जब खोजबीन की विपक्षी अभिमन्यु पुत्र गुड्डू राम अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया। अभिमन्यु पुत्र गुड्डू राम का सहयोग भगाने में गुड्डू राम पुत्र अज्ञात नें पूर्ण रुप से भूमिका निभाई कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 06/24 धारा 363,366 भादवि बनाम 1- अभिमन्यु पुत्र गुड्डू राम 2- गुड्डू राम पुत्र अज्ञात निवासीगण तियरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 फूलचन्द यादव के द्वारा की जा रही है। पीडिता करीना पूर्ण रुपेण नाबालिग होने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 (3) भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण :-

दिनांक 10.05.24 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिमन्यु कुमार पुत्र गुड्डू राम निवासी तियरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ को तियरा पुलिया से समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। बाद गिरफ्तारी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग–

1- मु0अ0सं0 06/24 धारा 363/366/376(3) भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त

1- अभिमन्यु कुमार पुत्र गुड्डू राम निवासी तियरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. थानाध्यक्ष श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना मेंहनाजपुर ,आजमगढ़
2. उ0नि0 फूलचन्द यादव थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 27.04.2024 को अनुमोदित गैंग चार्ट के क्रम में दिनांक 09.05.24 को प्र0नि0 संजय कुमार सिंह के दाखिला फर्द कि अभियुक्त रिजवान अहमद उर्फ बब्लू पुत्र अंसारूल हक नि0 खुन्दनपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ उम्र 51 वर्ष का एक संगठित अपराधिक गिरोह है जिसके सक्रिय सदस्य मो0 कासिफ पुत्र अलीशेर नि0 खुन्दनपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ व अब्दुल्ला पुत्र क्यूम नि0 खुन्दनपुर थाना मेंहनगर है यह गिरोह जिला स्तर पर सक्रिय है इस गिरोह के द्वारा दि0 15.2.2021 को सांय 5.20 बजे पुरानी रंजीश को लेकर अपने अन्य साथियो मुस्तफिजुल हसन उर्फ बाबू पुत्र जमालुद्दीन , के साथ मिलकर कलामुद्दीन को गोली मारकर हत्या कर दी गयी जिसके सम्बन्ध मे फुरकान अहमद की तहरीर पर मु0अ0स0 29/2021 धारा 302/504/120बी बनाम 1. रिजवान उर्फ बबलू पुत्र अंसारूल हक 2. कासिफ पुत्र अलीशेर 3. मुस्तफिजुल हसन उर्फ बाबू पुत्र जमालुद्दीन 4. अब्दुल्ला पुत्र क्यूम 5. मसरूर अहमद पुत्र मकबूल अहमद 6. अलीशेर अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासीगण खुन्दनपुर थाना मेंहनगर आजमगढ पंजीकृत कराया गया दौराने विवेचना घटना मे प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस की बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियिम व धारा 34 भा0द0वि0 की बढोतरी करके अभियुक्तगण अब्दुल्ला, रिजवान अहमद , बब्लू , कासिफ उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं 60 दि0 18.5.2021 को ,फरार चल रहे अभियुक्त मुस्तफिजुल हसन के विरूद्ध मफरूर मे आरोप पत्र संख्या A-60 दि0 24.10.21 को मा0 न्यायाल प्रेषित किया गया जब कि अभियुक्तगण मसरूर अहमद , अलीशेर उपरोक्त विरूद्ध मफरूरी मे आरोप पत्र सं0 60B दि022.9.22 को प्रेषित किया गया, इनकी समाज विरोधी आपराधिक गतिविधियो पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनका गैग चार्ट तैयार कर नियमानुसार जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय से दि0 27.4.2024 को अनुमोदित कराया जा चुका है उक्त गिरोह का यह दाण्डिक कृत्य उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 2(ख)(1)/3(1) के तहत दण्डनीय है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 177/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैगेस्टर एक्ट बनाम 1.रिजवान अहमद उर्फ बबलू पुत्र अंसारूल हक सा0 खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 2.मो0 कासिफ पुत्र अलीशेर सा0 खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 3.अब्दुल्ला पुत्र कय्यूम सा0 खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 10.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र कय्यूम सा0 खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 05.55 बजे ग्राम खुन्दनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.सं 177/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- अब्दुल्ला पुत्र कय्यूम सा0 खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1. मु.अ.सं. 86/17 धारा 323/504/506 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़
2. मु.अ.सं. 29/21 धारा 302/504/120बी /34 भादवि व 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मेंहनगर आजमगढ़
3. मु.अ.सं. 214/21 धारा 506 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ
4. मु.अ.सं. 364/22 धारा 504/506 भादवि मेंहनगर आजमगढ़
5. मु.अ.सं. 11/23 धारा 323,504,506,34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी / एसटी एक्ट मेंहनगर आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह का0 हिमांशु गिरी व का0 वसीम अकरम थाना मेंहनगर आजमगढ़

थाना- कोतवाली

चोरी की 01 मोटर साइकिल व अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास – वादी सुषेन सरोज पुत्र तुफानी सरोज नीवासी ब्राम्हनपुर थाना चन्दवक जौनपुर मो0नं0 988941xxxxx द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाईकिल UP50BNxxxx (आपाची) विनायक हास्पीटल से चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे दाखिल किये । दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 -274/2024 धारा 379 भादवि, दिनांक 09.05.2024 को पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 10.5.24 को उ0नि0 राजनरायण पाण्डेय, उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरूण कुमार दास पुत्र हरदयाल दास साकिन ग्राम घाघरा पंचायत व पोस्ट बड़की टाड़ ब्लाक व थाना बेगाबाद जनपद गिरीडीह झारखंड उम्र 33 वर्ष को समय 04.20 बजे बवाली मोड़ थाना कोतवाली आजमगढ़ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। तथा घटना कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की एक मोटर साइकिल तथा 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- अरूण कुमार दास पुत्र हरदयाल दास साकिन ग्राम घाघरा पंचायत व पोस्ट बड़की टाड़ ब्लाक व थाना बेगाबाद जनपद गिरीडीह झारखंड उम्र 33 वर्ष

बरामदगी का विवरणः एक मोटर साइकिल रजि0न0 UP50BN 8328 तथा 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 279/24 धारा 3/ 25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 279/24 धारा 3 /25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 274/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 राजनरायण पाण्डेय, उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना पवई

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06.05.2024 को वादिनी/पीड़िता थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी विकास पुत्र अशोक प्रसाद ग्राम नशोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर वादिनी को अपने घर में बुलाकर वादिनी के साथ काफी दिनों से शारीरिक सम्बन्ध बनाना वादिनी द्वारा शादी के लिये कहने पर विकास उपरोक्त द्वारा शादी करने से मना किया गया है, के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 148/24 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः- दिनांक 10.05.2024 को थानाध्यक्ष/विवेचक अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकास पुत्र अशोक प्रसाद ग्राम नशोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को मु मिल्कीपुर अण्डर पास के पास से समय करीब 07.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 376 भादवि में माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः मु0अ0सं0 148/24 धारा 376 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहासः- मु0अ0सं0 148/24 धारा 376 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तः- विकास पुत्र अशोक प्रसाद ग्राम नशोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1.थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह थाना पवई आजमगढ़।

थाना सरायमीर

अवैध मिट्टी खनन करने वाला ट्रैक्टर चालक 01 टैक्टर के साथ गिरफ्तार, 01 ट्रैक्टर सीज

विवरण- प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा अवैध खनन करने वाले के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09.05.2024 को एक टैक्टर पावर मय ट्राली मिट्टी लदा हुआ चालक रोशन गौतम पुत्र दीपचन्द्र गौतम निवासी ग्राम मंजीरपुट्टी थाना सरायमीर आजमगढ को ग्राम वीनापारा से पुलिस हिरासत मे लिया गया व चालक से पूछताछ किया गया तो बताया कि ग्राम मीरपुर मे मो0 हासिम पुत्र कवि उर्फ छोटकू निवासी ग्राम वीनापारा थाना सरायमीर आजमगढ के द्वारा JCB तथा 6 टैक्ट्रर से अवैध रुप से मिट्टी निकलवा रहे है जिसमें मैं जो ट्रैक्टर चला रहा हूं ट्रैक्टर मालिक प्रदीप कुमार सा0 मुस्तफाबाद थाना सरायमीर आजमगढ का है जिसका चेचिस नं T253655903OM इजन नं E3743572 माडल नं 439 EI है, को सीज कर थाना परिसर में सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया गया व ग्राम मीरपुर अवैध खनन स्थल पर दबिश दिया गया तो JCB तथा अन्य टैक्ट्रर चालक व मालिक मौके से फरार हो गये तथा जेसीबी व ट्रैक्टर चालक/मालिक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जायेगी। अग्रिम कार्यवाही हेतु खनन निरीक्षक आजमगढ़ , उपजिला मजिस्ट्रेट निजामाबाद, व आर0टी0ओ को सूचना दी गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़

थाना- पवई

हत्या करके शव को कुएं में फेंककर छिपाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 23.04.24 को ग्राम करौजा में अज्ञात शव मिलने की सूचना पर दिनांक 23.04.24 को तस्किरा अज्ञात मृत शरीर दर्ज कर पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए शव शिनाख्त हेतु मर्चरी हाऊस आजमगढ़ में रखवाया गया था दिनांक 25.04.24 को मर्चरी हाऊस पहुँचकर वादी ने सच्चिदानन्द यादव पुत्र स्व0 धनपति यादव नि0 ग्रा0 रानीपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ अज्ञात शव को खुद के पुत्र पवन यादव उर्फ मोनू की शिनाख्त किया। मृतक पवन यादव उर्फ मोनू उपरोक्त ने करीब 7- 8 वर्ष पूर्व पूजा यादव पुत्री जयप्रकाश यादव उर्फ राधे निवासी ग्राम करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ के साथ प्रेम विवाह किया जो किराये के मकान में साथ मे रहती थी विगत कुछ दिन पहले मृतक पवन यादव उर्फ मोनू उपरोक्त व उसकी पत्नी पूजा के साथ वाद विवाद हुआ था वाद विवाद के दौरान पूजा कहती थी कि मै तुमको ढिकाने लगवा दूंगी। अभियुक्त 1.अंगद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव 2.जयप्रकाश उर्फ राधे पुत्र स्व0 सुमेर यादव 3. पूजा यादव पुत्री जयप्रकाश नि0गण ग्राम करौजा थाना पवई आजमगढ़ द्वारा मिलकर वादी के पुत्र पवन उर्फ मोनू किराये के मकान से बुलाकर सिर पर मार पीट कर व चोट पहुँचाकर हत्या कर देना तथा शव को छुपाने के उद्देश्य से गाँव के कुए में फेंक देने के संबंध में वादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर मु0अ0सं0 130/24 धारा 302/201 भादवि बनाम 1. अंगद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव 2. जयप्रकाश उर्फ राधे पुत्र स्व0 सुमेर यादव 3. पूजा यादव पुत्री जयप्रकाश नि0गण ग्राम करौजा थाना पवई आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

जिसमें नामित अभियुक्त पूजा यादव को दिनांक 30.04.24 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा नामित अभियुक्त अंगद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव उर्फ राधे निवासी ग्राम करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ को दिनांक 10.05.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण----

दिनांक 10.05.2024 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अंगद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव उर्फ राधे निवासी ग्राम करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ को पंचरुखवा नहर पुलिया के पास से समय 05.20 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अंगद यादव उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 130/24 धारा 302/201 भादवि थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- अंगद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव उर्फ राधे निवासी ग्राम करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण..... अभियुक्त अंगद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव उर्फ राधे निवासी ग्राम करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ के निशानदेही पर उसके द्वारा घटना के समय पहने हुये शर्ट व पैण्ट में खून के दाग पड़े है, को बरामद किया गया।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह थाना पवई आजमगढ़